# राजस्थान सरकार
# कृषि आयुक्तालय, पंत कृषि भवन, जयपुर

कमांक प 5 (58)/आ.कृ/ एमएनओपी/एमएम–III/2016–17 806 - 850 जयपुर दिनांक 09/05/16

1. उप निदेशक कृषि (विस्तार)
   बीकानेर/श्रीगंगानगर/नागौर/चुरू/
   हनुमानगढ/टोंक/बांरा/जैसलमेर/झुँझुनू/धौलपुर/अलवर

2. सहायक निदेशक उद्यान/ सहायक निदेशक कृषि (विस्तार)
   बीकानेर/श्रीगंगानगर/नागौर/चुरू/हनुमानगढ/टोंक/
   बांरा/जैसलमेर/झुँझुनू/धौलपुर/अलवर

विषय :– जैतून की खेती के क्षेत्र विस्तार योजना के दिशा–निर्देश एवं लक्ष्यों के क्रम में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि राज्य में परम्परागत फसलो के साथ साथ फसल विविधिकरण में अन्य व्यवसायिक फसलो के विभिन्न कार्यक्रम कियान्वित किये जा रहे है। इसमें क्षेत्र विशेष की कृषि जलवायुवीय स्थितियो में तुलनात्मक रूप से उपयुक्त एवं संभावना वाली बागवानी फसलों को वर्तमान एवं भविष्य में मांग को देखते हुये सघन रूप में बढ़ावा दिये जाने के प्रयास किये जा रहे है। जिसके तहत राष्ट्रीय कृषि विकास योजना एवं नेशनल मिशन ऑन ऑयल सीड्स एण्ड ऑयम पॉम योजना के तहत वर्ष 2016–17 में राज्य में जैतून की खेती का क्षेत्र विस्तार कार्यकम के क्रियान्वयन सहायता/अनुदान प्रावधान के अनुसार दिशा–निर्देश निम्नानुसार है:–

सामान्य निर्देश:

1 किसानों को एक ही योजना में लाभान्वित किया जावें।
2 कार्यक्रम का क्रियान्वयन जिलेवार यथासभंव आंवटित लक्ष्यों के अनुसार किया जावें। परिशिष्ट –1
3 योजनान्तर्गत कृषकों का चयन यथासम्भव समूह के रूप में किया जावें।
4 योजना गतिविधियों के लिए सहायता/अनुदान प्रावधान का कृषकों के बीच व्यापक प्रचार–प्रसार किया जावें।
5 योजना कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में स्थानीय स्तर पर पंचायत राज संस्थाओं की यथासंभव भागीदारी रखी जावें।
6 योजनान्तर्गत विभिन्न कार्यक्रमों के तहत अनुदान/ सहायता हेतु आवेदन पत्र क्षेत्र के उप निदेशक कृषि (विस्तार)/ उपनिदेशक उद्यान/आर.ओ.सी.एल/ सहायक निदेशक उद्यान/

सहायक निदेशक कृषि (विस्तार) सम्बंधित सहायक कृषि अधिकारी /कृषि पर्यवेक्षक को प्रस्तुत करने होंगे।

7 योजना कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में भारत सरकार के नियमानुसार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एंव महिला कृषकों को लाभान्वित किये जाने की सुनिश्चितत्ता करावें।

8 योजनान्तर्गत आवेदन निर्धारित आवेदन पत्र में प्राप्त करने होंगे। (संलग्न)

9 योजना के तहत अनुदान प्राप्त करने के लिये आवेदन करने वाले वास्तविक आवेदक की मृत्यु होने की स्थिति में अनुदान राशि वास्तविक आवेदक के कानूनी उत्तराधिकारी को देय होगी। इसके लिये लाभार्थी को कानून में निर्धारित किये प्रावधान अनुसार उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

10 जिला कार्यालय इस कार्यक्रम की प्रभावी समीक्षा हेतु कृषि अधिकारी/कृषि अनुसंधान अधिकारी स्तर का नोडल आफिसर मनोनीत करेगें।

11 जैतून की खेती की तकनीकी जानकारी हेतु प्रशिक्षण, जिलास्तरीय कैम्प आदि के प्रस्ताव मुख्यालय को प्रेषित करेगें।

अनुदानः

1 **पौध रोपण पर अनुदान** –बगीचों की स्थापना के लिए पौध रोपण की वास्तविक लागत या अधिकतम राशि रूपये 48000/– प्रति हैक्टेयर जो भी कम हो का अनुदान देय होगा। इस क्रम में किसानों द्वारा उपयोग में लिये गये पौधों के अतिरिक्त अन्य आदान यथा उर्वरक/जैविक खाद/पौध संरक्षण रसायनों का व्यय की गई राशि का भुगतान रूपये 48000/– प्रति हैक्टर सीमा में उपयोगिता प्रमाण–पत्र प्रस्तुत कर बिल तथा अपने खाते का विवरण संबंधित उप निदेशक कृषि (विस्तार) को उपलब्ध करायेगें संबंधित उप निदेशक कृषि (विस्तार) की सिफारिश के पश्चात अनुदान की राशि का भुगतान आर.ओ.सी.एल. द्वारा किसानों को उनके खाते में हस्तान्तरित किया जावें।

2 एन.एम.ओ.ओ.पी एवं राष्ट्रीय कृषि विकास योजना में किसानों द्वारा जैतून के पौधे आर.ओ.सी. एल. के सैन्टर ऑफ एक्सीलेन्स पर स्थापित नर्सरी के माध्यम से प्राप्त/उपलब्ध करवाये जायेंगे।

3 योजनाओं के प्रावधान अनुसार प्रति हैक्टयर अधिकतम राशि रूपये 48000/– से गणना करते हुये अनुदान राशि का अग्रिम भुगतान आर.ओ.सी.एल. को किया जायेगा।

4 पौधों के पेटे अनुदान उपलब्ध करवाने हेतु संबंधित उप निदेशक कृषि (विस्तार) द्वारा जारी प्रशासनिक स्वीकृति को आधार माना जावें। आर.ओ.सी.एल. द्वारा वित्तीय स्वीकृति जारी की जावेगी।

5 **पौधों के संधारण पर अनुदान (Maintenance of Plantation)** – जैतून के उद्यानो के रखरखाव एवं उर्वरक, पौध सरंक्षण रसायन आदि पर राशि रू0 3,200/– प्रति हेक्टेयर प्रति वर्ष की दर से प्रथम चार वर्षो तक अनुदान देय होगा। पौधों के संधारण पर देय अनुदान उप निदेशक कृषि (विस्तार) की सिफारिश पर आर.ओ.सी.एल. द्वारा संबंधित कृषक के बैक खाते में हस्तान्तरित किया जायेगा। आर.ओ.सी.एल. द्वारा पौधों के संधारण हेतु देय अनुदान के भुगतान हेतु वित्तीय स्वीकृति जारी करने से पूर्व संबंधित अधिकारियों से पौधो के जीवित होने का प्रमाण पत्र आवश्यक रूप से प्राप्त किया जावें, इसका प्रारूप संलग्न है।

6 दिशा–निर्देशो के जारी होने के तिथि से पूर्व में यदि किसी कृषक द्वारा अनुदान लिया गया है तो पौधो पर अनुदान में किसी प्रकार का अतिरिक्त भुगतान देय नहीं होगा लेकिन पौध संरक्षण रसायन एवं उर्वरक पर इस वर्ष दिये जाने वाले अनुदान राशि रू0 3200/– प्रति हे0 की दर से ही देय होगा।

7 **जैतून के साथ अन्तर शस्य क्रियाओं हेतु अनुदान** :– मिनिमिशन –III के अन्तर्गत लगाए गए जैतून से उत्पादन शुरू होने तक (Gestation Period) खाद्य फसलों की अन्तर शस्य रूप में खेती करने हेतु 1000/– रूपये प्रति हैक्टेयर की दर से महत्वपूर्ण आदानों हेतु के खरीद पर अनुदान देय होगा। जैतून के साथ अन्तर शस्य क्रियाओं हेतु देय अनुदान उप निदेशक कृषि (विस्तार) की सिफारिश पर आर.ओ.सी.एल. द्वारा संबंधित कृषक के बैक खाते में हस्तान्तरित किया जायेगा।

**भौतिक लक्ष्य** – लक्ष्यो का निर्धारण निम्न है:–

परिशिष्ट–1

एनएमओओपी एवं आर.के.वी.वाई. के अन्तर्गत जैतून के पौधरोपण के लिए वर्ष 2016–17 हेतु जिलेवार भौतिक लक्ष्य

| क स. | जिला | भौतिक लक्ष्य हे0 में | |
|---|---|---|---|
| | | एनएमओओपी | आर.के.वी.वाई |
| 1 | श्रीगंगानगर | 70 | 30 |
| 2 | बीकानेर | 100 | 40 |
| 3 | नागौर | 40 | |
| 4 | चूरू | | 40 |
| 5 | हनुमानगढ | 40 | |
| 6 | टॉक | | 20 |
| 7 | बांरा | 50 | |
| 8 | जैसलमेर | | 30 |
| 9 | झुझूँनू | | 20 |
| 10 | अलवर | 0 | 10 |
| 11 | धोलपुर | 0 | 10 |
| | योग | **300** | **200** |

प्रकिया – (अ) पौध रोपण पर अनुदान :–

1 कृषक से आवेदन लेते समय निम्न दस्तावेज प्राप्त किये जायेंगें –

- निर्धारित आवेदन प्रपत्र मय फोटो।
- भूमि की जमाबंदी/पासबुक की नवीनतम प्रति (छः माह से अधिक पुरानी ना हो) इन्टरनेट के माध्यम से प्राप्त जमाबंदी भी कृषक के सत्यापन के पश्चात मान्य होगी।
- भूमि एवं पानी विश्लेषण रिपोर्ट (नहरी पानी से सिंचाई की स्थिति में पानी विश्लेषण की रिर्पोट आवश्यक नहीं है।)
- घोषणा पत्र (संलग्न) सादे कागज पर
- कृषक हिस्सा राशि
- ड्रिप संयत्र स्थापना संबधी धोषणा अथवा मानचित्र

2 जिला कार्यालय उक्त आवेदन पत्रो के अनुसार कृषको का चयन कर प्रशासनिक स्वीकृति जारी करेगें तथा पौधो की आपूर्ति हेतु आवेदन पत्र राजस्थान ओलिव कल्टीवेशन लि0 को मांग प्रेषित करेगें।

3 जिलास्तर पर कृषक हिस्सा राशि बैंक डिमांड ड्राफट के माध्यम से उप निदेशक कृषि (विस्तार) जिला परिषद द्वारा प्राप्त की जावें। डी. डी. राजस्थान ओलिव कल्टीवेशन लिमिटेड (बस्सी प्रोजेक्ट) के नाम से जयपुर में भुगतान योग्य हो। यह राशि पृथक खाते में संधारित की जावें।

4 **कृषक हिस्सा राशि कृषको के द्वारा राजस्थान ओलिव कल्टीवेशन के मुख्यालय, संबधित जिला कार्यालय अथवा सेंटर ऑफ एक्सीलेन्स (हाई–टैक एग्रो–होर्टी रिसर्च एण्ड डिमोन्सट्रेंशन सेंटर) बस्सी, जयपुर पर जमा करवायी जा सकेगी।**

5 चयनित कृषको के आवेदन जैतून के उच्च गुणवत्ता, मृदा रहित मीडिया में उत्पादित पौधे सेंटर ऑफ एक्सीलेन्स (हाई–टैक एग्रो–होर्टी रिसर्च एण्ड डिमोन्सट्रेंशन सेंटर) बस्सी के माध्यम से उपलब्ध करवाये जायेगें।

6 प्रति कृषक अनुदान दिए जाने हेतु अधिकतम क्षेत्रफल की कोई सीमा निर्धारित नहीं है।

7 एक हैक्टेयर क्षेत्रफल के अतिरिक्त अन्य क्षेत्रफलो के लिये अनुदान की गणना अनुपातिक रूप सें देय होगी (Pro-rata basis)।

8 जैतून के पौधो के कय पर अनुदान राशि कय के समय राजस्थान ओलिव कल्टीवेशन लि0 द्वारा स्वीकृति जारी कर अनुमोदित नर्सरी को उपलब्ध करवायी जायेगी।

9 अनुदान राशि की गणना क्षेत्रफल के आधार पर की जावेगी। राजस्थान ऑलिव कल्टीवेशन लिमिटेड की अनुशंसा के आधार पर जैतून के बगीचे कतार से कतार की दूरी 7 मीटर एवं पौधे से पौधे की दूरी 3 मीटर ज्यामिति पर विकसित किए जाने की सलाह दी जाती है। यदि किसी किसान द्वारा अन्य ज्यामिति पर पौघ रोपण किया जाता है उस स्थिति में भी उसे

दिशा–निर्देश के अनुदान बिंदु–1 के अनुसार ही अनुदान देय होगा। इसके अतिरिक्त 10 प्रतिशत पौधे मोर्टेलिटि एवं गैपफिलिंग के लिए दिए जावेंगे।

10 जैतून के पौधे सेंटर ऑफ एक्सीलेन्स, बस्सी जयपुर के माध्यम से उपलब्ध कराये जायेंगे। पौधो का परिवहन किसानो द्वारा ही किया जायेगा।

11 सिंचाई व्यवस्था के लिये किसानो को ड्रिप सयंत्र की स्थापना आवश्यक होगी, जिसके लिये अनुदान उद्यान विभाग द्वारा देय प्रकिया के अनुसार दिया जावेगा। इस हेतु कृषक पृथक से ड्रिप संयत्र स्थापना हेतु पत्रावली उद्यान विभाग के संबधित कार्यालय में प्रेषित कर अनुदान प्राप्त करेगें।

## (ब) पौधों के संधारण पर अनुदान

जैतून के पौधों के संधारण (Maintenance of Plantation) हेतु चार वर्षो तक राशि रू0 3200/– प्रति हेक्टेयर प्रति वर्ष उपलब्ध करवायी जाने के दिशा–निर्देश निम्न प्रकार से प्रस्तावित है –

| क्र.स. | अनुदान राशि | प्रथम वर्ष | द्वितीय वर्ष | तृतीय वर्ष | चतुर्थ वर्ष |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | पौधे लगाने के बाद समन्वित पोषक तत्व/ कीट व्याधी प्रबंधन इत्यादि पर होने वाले व्यय के पेटे राशि रू0 3200/– प्रति वर्ष प्रति है0 का अनुदान | पौधे लगाने के एक वर्ष बाद 75 प्रतिशत पौधे जीवित होने की दशा में कृषकों को चैक/डिमाण्ड ड्राफ्ट अथवा इलेक्ट्रोनिक मनी ट्रान्सफर के माध्यम से) | पौधे लगाने के दो वर्ष बाद (90 प्रतिशत पौधे जीवित होने पर चैक/डिमाण्ड ड्राफ्ट अथवा इलेक्ट्रोनिक मनी ट्रान्सफर के माध्यम से) | पौधे लगाने के तीन वर्ष बाद (90 प्रतिशत पौधे जीवित होने पर चैक/डिमाण्ड ड्राफ्ट अथवा इलेक्ट्रोनिक मनी ट्रान्सफर के माध्यम से) | पौधे लगाने के चार वर्ष बाद (90 प्रतिशत पौधे जीवित होने पर चैक/डिमाण्ड ड्राफ्ट अथवा इलेक्ट्रोनिक मनी ट्रान्सफर के माध्यम से) |

उद्यानो का निरीक्षण कृषि/उद्यान/राजस्थान ओलिव कल्टीवेशन लिमिटेड के कार्मिको द्वारा किया जावेंगा।

## (स) अन्तर शष्य पर अनुदान :

इस कार्यक्रम के अन्तर्गत लगाए गए जैतून के पौधों से उत्पादन शुरू होने तक (Gastation Period) दलहन, तिलहन एवं अन्य फसलें अन्तर शष्य के रूप में उगाए जाने की पुष्टि पर 1000/– रूपये प्रति हैक्टेयर महत्वपूर्ण आदानों पर (प्रथम चार वर्षों तक) अनुदान देय होगा। अन्तर शष्य किए जाने की पुष्टि सहायक कृषि अधिकारी अथवा कृषि पर्यवेक्षक द्वारा किया जावेगा। यह अनुदान उसी स्थिति में देय होगा जब कृषक द्वारा अन्तर शष्य की जा रही हो एवं पौधों की आयु के आधार पर आवश्यक

प्रतिशत पौधे जीवित होने की शर्त पूरी की जाती है। अनुदान की राशि कृषकों को डिमाण्ड ड्राफ्ट अथवा इलैक्ट्रॉनिक मनी ट्रांसफर के माध्यम से उपलब्ध करवाई जावेगी।

इस कार्यक्रम के क्रियान्यवन हेतु संबधित जिले के उप निदेशक कृषि (विस्तार) को नोडल अधिकारी नियुक्त किया जाता है। नोडल अधिकारी जिले में कार्यरत कृषि एवं उद्यान विभाग के कार्यालयो के माध्यम से कार्यक्रम का संचालन करेगें एवं समय समय पर समीक्षा कर अपनी रिर्पोट राजस्थान ओलिव कल्टीवेशन लि0 दुर्गापुरा जयपुर को प्रेषित करते हुये एक प्रति एनएमओओपी शाखा कृषि आयुक्तालय जयपुर को भी प्रेषित करेगें।

इस कार्यकम के क्रियान्यवन करने वाले अधिकारियो का प्रशिक्षण राजस्थान ओलिव कल्टीवेशन लिमिटेड द्वारा किया जायेगा जिसकी तिथि पृथक से सूचित की जावेगीं।

संलग्नः अनुदान प्रपत्र, घोषणा पत्र,

(डॉ.नीरज कुमार पवन)
आयुक्त एवं पदेन विशिष्ठ शासन
सचिव कृषि

क्रमांक प 5 (58)/आ.कृ/ एमएनओपी/एमएम–III/2016–17 806–850 जयपुर दिनांक 31/05/16
प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु–

1. निजी सचिव, मा0 कृषि मंत्री, राजस्थान सरकार जयपुर।
2. निजी सचिव अतिरिक्त मुख्य सचिव कृषि एवं उद्यान राजस्थान जयपुर।
3. अतिरिक्त निदेशक उद्यान एन. एच. एम को भेज कर अनुरोध है कि उद्यान विभाग कि जिला कार्यालयो को लक्ष्यो की पूर्ति हेतु आवश्यक निर्देश जारी करने का श्रम करावें।
4. संयुक्त निदेशक कृषि श्रीगंगानगर/बीकानेर/सीकर/जयपुर/कोटा/जोधपुर/भरतपुर
5. चीफ आपरेशन आफिसर, राजस्थान ओलिव कल्टीवेशन लि0 जयपुर।

(एम.एल.सालोदिया)
अतिरिक्त निदेशक कृषि (एमएनओपी)

## राष्ट्रीय कृषि विकास योजना/नेशनल मिशन ऑन ऑयल सीड्स एण्ड ऑयम पॉम योजना अन्तर्गत पौध रोपण सामग्री प्राप्त करने हेतु आवेदन प्रपत्र

फोटो

श्रीमान उप निदेशक कृषि (विस्तार),
जिला परिषद,
सहायक निदेशक कृषि (विस्तार)
चीफ आपरेशन आफिसर, आरओसीएल
.....

विषयः– राष्ट्रीय कृषि विकास योजना/नेशनल मिशन ऑन ऑयल सीड्स एण्ड ऑयम पॉम योजना अन्तर्गत पौध रोपण के लिए अनुदानित दर पर पौध रोपण सामग्री उपलब्ध कराने के क्रम में।

महोदय,

मैं/हम **राष्ट्रीय कृषि विकास योजना/नेशनल मिशन ऑन ऑयल सीड्स एण्ड ऑयम पॉम योजना** अन्तर्गत अपने खेत पर वृक्ष जनित तिलहनों के पौध रोपण हेतु टिश्यू कल्चर से उत्पादित सैकेण्डरी हार्डन्ड पौध रोपण सामग्री/सामान्य विधि से उत्पादित पौध रोपण सामग्री अनुदानित दर से प्राप्त करना चाहते है। पौध रोपण से संबंधित विवरण निम्नानुसार है–

1. कृषक का नाम :
2. पिता का नाम :
3. जिले का नाम :
4. पूर्ण पता

:

5. मोबाईल नम्बर .....
6. आवेदक/कृषक के नाम कुल भूमि (हैक्टर) : .....
7. खसरा नम्बर जिसमें कार्यक्रम/गतिविधी लेनी है : .....
8. कार्यक्रम/गतिविधी का क्षेत्रफल : .....
9. सिंचाई का साधन : .....डीजल इंजन/मोटर हॉर्स पावर : ....
10. मिट्टी व पानी की जॉच रिर्पोट : (संलग्न करे) : .....

.....

मैं/हम उक्त अनुसार ..... पौध रोपण सामग्री को विभागीय सिफारिश अनुसार लगाने पर सहमत है। इसके लिए वांछित दस्तावेज योजना दिशा–निर्देशानुसार आवेदन–पत्र के साथ संलग्न किये जा रहे है। कार्यक्रम/गतिविधि किसी अन्य को हस्तान्तरित या बेचना नहीं करूंगा। मैं यह सत्यापित करता हूँ कि मैनें इस कार्यक्रम के लिये किसी अन्य संस्था या योजना से सहायता प्राप्त नहीं की है।

दिनांकः

हस्ताक्षर कृषक
मो./फोन नं.

# शपथ–पत्र

मैं/हम श्री ..... पुत्र श्री .....
ग्राम ..... तहसील ..... जिला .....
राजस्थान के निवासी है।

मैं/हम राष्ट्रीय कृषि विकास योजना/नेशनल मिशन ऑन ऑयल सीड्स एण्ड ऑयम पॉम योजना अन्तर्गत के पौध रोपण के लिये टिश्यू कल्चर से उत्पादित सैकेण्डरी हार्डनिग किये हुये पौधे/सामान्य विधि से उत्पादित पौधे अनुदानित दर से प्राप्त कर पौध रोपण हेतु शपथपूर्वक धोषणा करते है कि–

1. यह है कि मैं/हम ..... की पौध रोपण सामग्री को हमारे स्वयं के नाम से भू–स्वामित्व वाली जमीन में रोपित करेंगे।
2. यह है कि मैं/हम ..... पौध रोपण से संबंधित समय–समय पर आयोजित होने वाले कृषक प्रशिक्षण/अन्य कार्यक्रमों में समय–समय पर निर्देशानुसार उपस्थित होते रहेंगे।
3. यह है कि मेरे/हमारे पास ..... पौध रोपण हेतु सुनिश्चित सिंचाई का स्रोत एवं साधन उपलब्ध है।
4. यह है कि मै/हम ..... पौध रोपण के लिये दिशानिर्देशानुसार देय अनुदान के अतिरिक्त आवश्यक कृषक हिस्सा राशि जमा कराने पर सहमत है। इसके साथ ही बूंद–बूंद सिंचाई संयंत्र लगाये जाने के लिये कृषक हिस्सा राशि हेतु वांछित अग्रिम जमा कराने पर भी सहमत हूँ।
5. यह है कि मै/हम ..... पौध रोपण हेतु पौधों के अतिरिक्त अन्य सभी कृषण क्रियाये हमारे स्वयं के स्तर से करने पर सहमत है।
6. यह है कि मै/हम ..... पौध रोपण के लिये आवश्यक फैन्सिंग स्वयं के स्तर से करेंगे।
7. यह है कि मेरे/हमारे द्वारा अनुदानित दर उपलब्ध करायी गयी ..... की पौध रोपण सामग्री को खेत में रोपित किया जाकर निरन्तर ..... वर्ष तक विभागीय सिफारिशानुसार देख–रेख की जायेगी। ऐसा नहीं करने पर पौधों की अनुदानित राशि मय बैंक ब्याज दर के वसूल करने के लिये कृषि विभाग स्वतंत्र होगा।

हस्ताक्षर शपथग्रहिता

सेवा में,

उप निदेशक कृषि (वि) .....

विषयः– जैतून पौधों पर संधारण की भौतिक सत्यापन रिपोर्ट प्रस्तुत करने के क्रम में।

महोदय,

कृषि आयुक्तालय, राजस्थान के द्वारा जारी दिशा–निर्देशो की अनुपालना में जैतून खेती के क्षेत्र विस्तार योजना के दिशा–निर्देश के अनुसार अनुदान के बिन्दु (ब) पौधों पर संधारण हेतु चार वर्षो तक राशि रू0 3200/– प्रति हेक्टेयर एवं बिन्दु (स) जैतून के पौधों से उत्पादन शुरू होने तक दलहन, तिलहन एवं अन्य फसले अन्तर शष्य के रूप उगाये जाने वाली फसल की पुष्टि होने पर राशि रू0 1000/– प्रति हैक्टेयर की दर से प्रथम चार वर्षो तक अनुदान उपलब्ध कराये जाने के दिशा– निर्देश जारी हुये है। जिसकी अनुपालना में निम्न विवरणानुसार वर्ष पूर्ण होने पर दिनांक ..... को कृषक के खेत का निरीक्षण किया गया, जिसकी भौतिक सत्यापन रिर्पोट निम्न प्रकार से है–

| क्र. सं. | विवरण | रिर्पोट |
|---|---|---|
| 1 | कृषक का नाम | |
| 2 | पिता का नाम | |
| 3 | ग्राम | |
| 4 | तहसील एव जिला | |
| 5 | मोबाईल संख्या | |
| 6 | बैक का नाम मय खाता संख्या | |
| 7 | कृषक की श्रेणी SC/ST/GEN | |
| 8 | उपलब्ध करवाये गये पौधों की संख्या | |
| 9 | रोपित पौधों का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) | |
| 10 | पौधों का अन्तराल (मीटर में) | |
| 11 | ड्रिप संयंत्र स्थापित है अथवा नहीं | |
| 12 | ड्रिप संयंत्र का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) | |
| 13 | जीवित पौधों की संख्या | |
| 14 | जीवित पौधों का प्रतिशत | |
| 15 | अन्तर शष्य फसल का नाम | |
| 16 | अन्तर शष्य फसल का क्षेत्रफल (हैक्टेयर में) | |
| 17 | कृषक अथवा उसके प्रतिनिधि के हस्ताक्षर मय मोबाईल संख्या | |
| 18 | कृषक प्रतिनिधि होने पर कृषक के साथ रिश्ते का उल्लेख करे। | |

भौतिक सत्यापन कर्ता

हस्ताक्षर .....
नाम .....
पदनाम .....
मोबाईल नं0

कार्यालय उप निदेशक कृषि .....

क्रमांक दिनांक

कृषक श्री/श्रीमति ..... पिता/पति का नाम .....ग्राम ..... ..... तहसील ..... जिला ..... द्वारा ..... ..... हैक्टेयर क्षेत्र में जैतून पौध रोपण किया गया है। एनएमओओपी एवं राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के दिशा–निर्देशों के अनुसार कृषक को पौध संधारण एवं अन्तर शष्य हेतु पर अनुदान देय है। अतः संबंधित कृषक को पौध संधारण पर राशि रू0 ..... एवं अन्तर शष्य फसल हेतु राशि रू0 ..... कुल राशि रू0 ..... अनुदान के भुगतान की अनुशंसा की जाती है। कृपया भुगतान की कार्यवाही करावें।

हस्ताक्षर .....
नाम .....
पदनाम .....

चीफ आपरेशन आफिसर, आर0ओ0सी0एल0

राजस्थान ओलिव कल्टीवेशन लि0, जयपुर

क्रमांक दिनांक

उप निदेशक कृषि (वि0) ..... के पत्र क्रमांक .....दिनांक ..... .....के द्वारा की गयी सिफारिश के अनुसार कृषक श्री/श्रीमति ..... पिता/पति का नाम .....ग्राम ..... तहसील ..... ..... जिला को एनएमओओपी एवं राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के दिशा–निर्देशों के अनुसार किसान को पौध संधारण पर राशि रू0 ..... एवं अन्तर शष्य हेतु राशि रू0 ..... कुल राशि रू0 ..... के अनुदान भुगतान की स्वीकृति प्रदान की जाती है। कृषक को उक्त अनुदान की राशि प्रथम/ द्वितीय/तृतीय/चतुर्थ वर्ष के अनुदान के स्वरूप जारी की जा रही है।

लेखाकार प्रबंधक साईट डवलपमेंट चीफ आपरेशन आफिसर

## उपयोगिता प्रमाण पत्र

श्रीमान चीफ आपरेशन आफिसर/उप निदेशक कृषि (वि0)

.....

विषयः– जैतून की खेती के क्षैत्र विस्तार योजना के अन्तर्गत पौध रोपण पर अनुदान की शेष राशि उपलब्ध कराने बाबत्।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि राष्ट्रीय कृषि विकास योजना/नेशनल मिशन ऑन ऑयल सीड्स एण्ड ऑयम पॉम योजना में मेरे द्वारा ..... हैक्टेयर में जैतून उद्यान स्थापित किये है। पौधों पर अनुदान की राशि के अतिरिक्त (योजना के दिशा–निर्देशो के अनुसार बगीचो की स्थापना के लिए पौध रोपण सामग्री की वास्तविक लागत या अधिकतम राशि रूपये 48000/– प्रति हेक्टेयर जो भी कम हो का अनुदान देय का प्रावधान है) शेष अनुदान राशि का भुगतान निम्न विवरण के अनुसार करवाने की कृपा करे।

| क्र. सं. | विवरण | |
|---|---|---|
| 1 | कृषक का नाम | |
| 2 | पिता का नाम | |
| 3 | ग्राम | |
| 4 | तहसील एव जिला | |
| 5 | मोबाईल संख्या | |
| 6 | बैक का नाम मय खाता संख्या | |
| 7 | कृषक की श्रेणी SC/ST/GEN | |
| 8 | उपलब्ध करवाये गये पौधों की संख्या | |
| 9 | रोपित पौधों का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) | |
| 10 | पौधों का अन्तराल (मीटर मे) | |
| 11 | ड्रिप संयंत्र स्थापित है अथवा नहीं | |
| 12 | ड्रिप संयंत्र का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) | |
| 13 | जीवित पौधों की संख्या | |
| 14 | जीवित पौधों का प्रतिशत | |

मेरे द्वारा पौध रोपण में निम्न प्रकार से व्यय स्वयं के स्तर से किया गया है।

| क्रम संख्या | स्थापित किये गये पौधो की संख्या | गढडा खोदने में व्यय राशि रू0 | गढडे में गोबर खाद, कम्पोस्ट आदि पर व्यय राशि रू0 | पौध संरक्षण रसायन एवं उर्वरक पर व्यय राशि रू0 | योग राशि रू0 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

कृषक के हस्ताक्षर

कार्यालय उप निदेशक कृषि .....

## भौतिक सत्यापन रिपोर्ट

कृषक श्री/श्रीमति ..... पिता/पति का नाम .....ग्राम ..... ..... तहसील ..... जिला ..... द्वारा ..... ..... हैक्टेयर क्षेत्र में जैतून पौध रोपण किया गया है। एनएमओओपी एवं राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के दिशा–निर्देशों के अनुसार कृषक को पौध रोपण सामग्री के अतिरिक्त शेष अनुदान देय है। अतः संबंधित कृषक को शेष अनुदान राशि रू0 ..... के अनुदान के भुगतान की अनुशंसा की जाती है। कृपया भुगतान की कार्यवाही करावें।

भौतिक सत्यापन कर्ता के हस्ताक्षर
नाम ..... .....
पदनाम .....
पदस्थापन .....
मों संख्या .....

प्रमाणित

चीफ आपरेशन आफिसर, आर0ओ0सी0एल0/उप निदेशक कृषि

## राजस्थान ओलिव कल्टीवेशन लि0, जयपुर

क्रमांक दिनांक

उप निदेशक कृषि (वि0) ..... के पत्र क्रमांक .....दिनांक ..... .....के द्वारा की गयी सिफारिश के अनुसार कृषक श्री/श्रीमति ..... पिता/पति का नाम .....ग्राम ..... तहसील ..... ..... जिला को एनएमओओपी एवं राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के दिशा–निर्देशों के अनुसार किसान को पौध रोपण सामग्री के अतिरिक्त शेष अनुदान राशि रू0 ..... के भुगतान की वित्तिय स्वीकृति प्रदान की जाती है।

लेखाकार प्रबंधक साईट डवलपमेंट चीफ आपरेशन आफिसर